



-प्रेस नोट-

दिनांक 08.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 13 बंडल बिजली का तार (वजन करीब 40 किलोग्राम) बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 25.12.2024 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र महीपाल सिंह निवासी शिव विहार धारिया बिल्डर्स वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के निर्माणधीन मकान से बिजली की फिटिंग के तार व कैमरे की डी0बी0आर0 व एसी का तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 753/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.01.2025 को वादी श्री अनुज कुमार पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 ए-10 अहमद बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के घर की खिडकी तोड़कर घर का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर मु0अ0सं0 10/2025 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. आदित्य उर्फ सन्नी पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम गुडुमकचराई थाना नानौता जिला सहारनपुर 2. सचिन पुत्र गोविन्द सिंह निवासी गोपाल नगर नुमाईश कैम्प के पास थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर 3. सागर पुत्र बिजेन्द्र निवासी भारत माता चौक सन्नो वाली गली थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर 4. राकेश उर्फ टिन्कू पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर चाँद मारी मैदान में झाड़ियों के बीच कमरे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से उपरोक्त दोनों मुकदमों से सम्बन्धित चोरी किये गये बिजली के तार बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग तार चोरी करते हैं और सामान ग्राहक को तलाश कर बेच देते हैं कल रात राकेश व सागर दोनो ने मिलकर मौ0 शास्त्री नगर में एक मकान से करीब 8-10 किलो के आस पास बिजली का तार चोरी किया था और दिनांक 22/23.12.2024 की रात्रि में शिव बिहार कालोनी से एक मकान से आदित्य, सचिन, सागर व एक अन्य साथी ने मिलकर करीब तीस किलोग्राम बिजली का तार चोरी किया था जिसको चोरी करने के बाद हम लोगो ने यही पर झाड़ियों में छिपा दिया था आज हम सभी लोग इस सामान को बेचने वाले थे जिसके लिये हमारा अन्य साथी ग्राहक की तलाश में गया है जो अभी तक वापस नहीं आया है कि आपने हम लोगो को पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. आदित्य उर्फ सन्नी पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम गुडुमकचराई थाना नानौता जिला सहारनपुर।
2. सचिन पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम यमकेशवर थाना पोडीगढवाल जिला पोडीगढवाल उत्तराखण्ड हाल पता गोपाल नगर नुमाईश कैम्प के पास थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. राकेश उर्फ टिन्कू पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।

4. सागर पुत्र बिजेन्द्र निवासी भारत माता चौक सन्नो वाली गली थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 13 बन्डल बिजली का तार वजन करीब 40 किलोग्राम

**अभियुक्त आदित्य उर्फ सन्नी का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0असं0 753/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर
2. मु0असं0 106/2024 धारा 354/354(घ)/452/506 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट थाना नानौता स0पुर

**अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास:-**

मु0असं0 753/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर

**अभियुक्त राकेश उर्फ टिन्कू का आपराधिक इतिहास:- निल**

मु0असं0 11/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर

**अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0असं0 11/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर
2. मु0असं0 753/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार स0पुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण:-**

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार स0पुर ।
2. उ0नि0 श्री जहांगीर थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 1552 रोहित कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
4. का0 2546 नवीत थाना सदर बाजार स0पुर
5. है0का0 1113 अरविन्द थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
6. है0का0 556 नरेश थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
7. है0का0 739 ललित तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर ।



दिनांक:-08.01.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त **1.वाजिद पुत्र शाहदत खां निवासी मौ० मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 2840/24 मु०अ०सं०-268/14 धारा-323,504,506,427 भादवि तथा **2.आसिफ पुत्र शहादत निवासी मौ० मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 2840/24 मु०अ०सं०-268/14 धारा-323,504,506,427 भादवि चालानी थाना सरसावा सहारनपुर माननीय न्यायालय एसीजेएम तृतीय सहारनपुर को कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. वाजिद पुत्र शाहदत खां निवासी मौ० मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर
2. आसिफ पुत्र शहादत निवासी मौ० मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का० 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. का० 136 हरदयाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक 08.01.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़ पुलिस द्वारा साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र में डकैती की घटना में संलिप्त वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूटे गये 1,940/- रुपये नकद बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 21.12.24 को वादी शुभ्राशु जैन पुत्र अखिलेश जैन निवासी मैन बाजार अम्बेहटा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत तीन/चार बदमाश नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की दुकान साइबर कैफे पर आकर तमचा दिखाकर धमकी देते हुए गल्ले में रखे हुए लगभग एक से डेढ लाख रुपये व 02 फोन एप्पल 01 फोन रेडमी के लूट के ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0-441/24 धारा 309(4) भा0न्या0स0 पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 309(4) भा0न्या0स0 का विलोपन कर धारा 310(2)/317(3) बीएनएस की वृद्धि की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1. निखिल पुत्र नरेश नि0 ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2. शाहवेज पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर 3. बिन्नी उर्फ विनेश पुत्र सुरेन्द्र ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर 4. जुनेद पुत्र इकबाल नि0 ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर 5. इस्तकार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम खैरसाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 6. हिमांशु पुत्र रमेश 7.अभिषेक पुत्र विनोद नि0गण ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जिला बिजनौर 8. गुरप्रीत पुत्र हरवंश नि0 दराज थाना टापा जिला बथलाना पंजाब का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त गुरप्रीत को छोड़कर शेष अभियुक्तगणों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में चोरी/नकबजनी/लूट/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुरप्रीत पुत्र हरवंश निवासी दराज थाना टापा जिला बथलाना पंजाब को सरसावा हाईवे कट के पास से गिरफ्तार किया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं कस्बा अंबहेटा,सहारनपुर के जनसेवा केंद्र में हुई लूट के संबंध में लूटे हुए 1,940/- रुपये नगद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

गुरप्रीत पुत्र हरवंश नि0 दराज थाना टापा जिला बथलाना पंजाब ।

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 01 देशी तमंचा 315 बोर

➤ 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

➤ 1,940/- रुपये नगद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अभिनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.01.25 को मुखबिर की सूचना पर वारण्टी अभियुक्त शमशाद पुत्र जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला सबूत राय कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं0 2910/24 मु0अ0सं0 418/09 धारा 370/411/307 भादवि चालानी थाना सरसावा निर्गत मा0न्यायालय ए0सी0जे0एम तृतीय सहारनपुर को खेड़ा अफगान में स्थित कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नकुड़ का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है जो पिछले 14 वर्षों से स्थान बदल-बदल कर लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शमशाद पुत्र जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला सबूत राय कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 348 कुलदीप थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक 08.01.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद**

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 06/01/2024 को वादी नौशाद पुत्र महमूद निवासी मौ0 कुरेशियान थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत मौ0 बाहुद्दीन में लाल मस्जिद के पास से अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल UP 11P 8395 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-10/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए आज दिनांक 08/01/2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी हुई मोटर साईकिल नं0 UP 11P 8395 बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं दो दिन पहले कस्बा गंगोह में लगे मेले में आया था यहां मैंने एक पुरानी सी मोटर साईकिल देखी मैं लालच में आ गया और मोटर साईकिल को चोरी कर लिया था। आज मैं इस मोटर साईकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण**

➤ 01 मोटर साईकिल हीरो होंडा सीडी डिलक्स नं0 UP11P8395

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0सं0 361/22 धारा 379/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री डैनी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 08.01.2025

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा घर में बन्धक बनाकर लूट का प्रयास करने वाले 02 लूटेरे अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा, 05 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/लूटेरे/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2025 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 02 लूटेरे/अभियुक्तगण 1- तौसिफ पुत्र जमीर निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर व 2- मोनू पुत्र नवाब नि0 ग्राम वंशिपुरा थाना दौराला जनपद मेरठ को शत्रुधपुरी कालोनी ग्राम कैलाशपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर 1- मु0अ0स0 03/25 धारा 332 (सी)/127(2)/309(4) बीएनएस 2- मु0अ0स0-04/24 धारा 109 बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम दोनो अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर जबरन घरों में घुसकर घर में मौजूद परिवार के लोगों को बन्धक बनाकर लूटपाट करते हैं। घरों में लूटपाट के पैसे हम लोग आपस में बाट लेते हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1- तौसिफ पुत्र जमीर निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
- 2- मोनू पुत्र नवाब नि0 ग्राम वंशिपुरा थाना दौराला जनपद मेरठ।

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 अदद चाकू नाजायज (अभियुक्त तौसिफ से)
- 01 तमन्चा 315 बोर (अभियुक्त मोनू से)
- 05 जिदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त मोनू से)

### **अपराधिक इतिहास अभि0तौसिफ**

- 1- मु0अ0स0 319/2017 धारा 366/376 डी/394/386/328/34 भादवि थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 2- मु0अ0स0 03/25 धारा 332 (सी)/127(2)/309(4) बीएनएस थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 3- मु0अ0स0-04/24 धारा 109 बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी (स0पुर)

### **अपराधिक इतिहास अभि0 मोनू**

- 1- मु0अ0स0 03/25 धारा 332 (सी)/127(2)/309(4) बीएनएस थाना गागलहेडी (स0पुर)

- 2- मु0अ0स0-04/24 धारा 109 बीएनएस व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट\_थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 3- मु0अ0स0 128/2014 धारा 379/411 भादवि थाना दौराला (मेरठ)
- 4- मु0अ0स0 451/2016 धारा 392/411/506 भादवि थाना दौराला (मेरठ)
- 5- मु0अ0स0 457/2016 धारा 307 भादवि थाना दौराला (मेरठ)
- 6- मु0अ0स0 458/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दौराला (मेरठ)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1- थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 2- उ0नि0 श्री राशिद खान थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 3- है0का01123 मोहित कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 4- का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी (स0पुर)
- 5- का0 2164 जसवन्त कुमारथाना गागलहेडी (स0पुर)



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 01 नाजायज चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वाहन चोर **अभियुक्त इसरार पुत्र स्व0 सलीम नि0 ग्राम चांदपुर थाना गांधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा हाल निवासी ग्राम खडकौली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को सकलापुरी रोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाईकिल रजि0न0 UK17U4230 तथा 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। उक्त मोटरसाईकिल थाना गांधीनगर जिला यमुनानगर हरियाणा से चोरी हुई थी। मोटरसाईकिल से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु यमुनानगर पुलिस को अवगत कराया गया है। अभियुक्त के पास से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

इसरार पुत्र स्व0 सलीम नि0 ग्राम चांदपुर थाना गांधीनगर जनपद यमुनानगर हरियाणा हाल निवासी ग्राम खडकौली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण**

➤ 01 चोरी की मोटर साईकिल UK17U4230

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 241 कपिल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2173 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0-1569/2019 धारा 138 एन0आई0 एक्ट चालानी थाना सदर बाजार को ग्राम रामनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सतीश कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 08-01-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म के मामलों में अभियुक्त को **10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –**

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.12.2019 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जीशान पुत्र शमशेर निवासी ग्राम टोडरपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा घर में घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री को चाकू से डरा धमकाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-795/2019 धारा 376,506 भादवि व 3/4 पोक्सों अधिनियम थाना मण्डी के पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 65/2020 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **08.01.2025** को अभियुक्त जीशान पुत्र शमशेर उपरोक्त को मु0अ0स0-795/2019 धारा 376,506 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त को **10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी  
विवेचक निरीक्षक श्री रघुराज सिंह  
पैरोकार म0हे0का0-78 संगीता थाना मण्डी सहारनपुर।



दिनांक 08-01-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट के मामलों में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी **सजा** –

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.08.2020 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साकिब पुत्र कदीर निवासी बरथाकायस्थ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के जेठ की नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करने, बदनियती से पकडकर कपडे फाड देने व गाली-गलोच करने की सूचना पर मु0अ0स0-478/2020 धारा 354,323,504,354ख भादवि व 7/8 पोक्सों अधिनियम थाना चिलकाना पर पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1302/2020 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते मा0 न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को अभियुक्त साकिब पुत्र कदीर उपरोक्त को मु0अ0स0-478/2020 धारा 323,504,354(ख) भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 06 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय – अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर

विवेचक – उ0नि0 श्री शशांक गिरी

पैरोकार – हे0का0116 महेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।